परिशिष्ट 15

उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873

[The Northern India Canal and Drainage Act, 1873]

(1873 का अधिनियम संख्यांक 8)

[11 फरवरी, 1873]

विषय-सूची

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम
2. अधिनियमों का निरसन *[निरसित]*
3. निर्वचन खण्ड
4. अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति

भाग 2

लोक प्रयोजनों के लिए जल का उपयोजन

5. जब जलप्रदाय का लोक प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाना है तब अधिसूचना का जारी किया जाना
6. नहर अधिकारी की शक्तियाँ
7. प्रतिकर के दावों के बारे में सूचना
8. नुकसान जिसके लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा
9. दावों का परिसीमन
10. दावों की जाँच और प्रतिकर की रकम
11. जल प्रदाय में अवरोध होने पर भाटक का उपशमन
12. जल प्रदाय के प्रत्यावर्तन पर भाटक में वृद्धि
13. प्रतिकर का शोध्य होना

भाग 3

संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण

14. प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्ति आदि
15. मरम्मत के लिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवेश की शक्ति
16. नहर के जल का उपयोग करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन
17. सरकार का नहरों को पार करने के साधन की व्यवस्था करना
18. जलसरणी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का सड़क आदि के पार, जल के जाने के लिए संकर्म निर्माण
19. जलसरणी का संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच दावों का समायोजन
20. बीच की जलसरणी द्वारा जल प्रदाय
21. नई जलसरणी के निर्माण के लिए आवेदन
22. इस पर नहर अधिकारी की प्रक्रिया
23. विद्यमान जलसरणी के अन्तरण के लिए आवेदन
24. आवेदित निर्माण या अन्तरण पर आक्षेप
25. कब आवेदक को अधिभोग दिया जा सकता है
26. जब आक्षेप का विधिमान्य होना अभिनिर्धारित किया जाता है तब प्रक्रिया
27. जब नहर अधिकारी कलेक्टर से असहमत हो तब प्रक्रिया
28. अधिभोग प्राप्त करने के पहले आवेदक द्वारा खर्चों का संदाय
29. जिसे अधिभोग दिलाया गया है उस आवेदक पर आबद्धकर शर्तें
30. विस्तार और परिवर्तनों के लिए अधिभोग को लागू होने वाली प्रक्रिया

भाग 4

जल प्रदाय

31. लिखित संविदा के अभाव में जल प्रदाय का नियमों के अधीन होना
32. शर्तें

भाग 5

जल दर

33. जब अप्राधिकृत रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है तब दायित्व
34. जल का अपचय होने पर दायित्व
35. प्रभारों का शास्तियों के अतिरिक्त वसूल हो सकना
36. जल के लिए अधिभोगी पर प्रभार के अवधारण का ढंग
37. ''स्वामी दर''
38. स्वामी दर की रकम
39. स्वामी दर कब प्रभार्य नहीं होगी
40. कब अधिभोगी स्वामी दर और अधिभोगी दर दोनों का संदाय करेगा
41. स्वामी दर का प्रभाजन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति
42. स्वामी कब स्वामी दर देगा
43. भू-स्वामी के बढ़ाने के अधिकार पर नहर सिंचाई के प्रारम्भ होने का प्रभाव
44. जल दर किसके द्वारा संदेय होगी जब अनेक स्वामियों द्वारा धारित भूमियों पर प्रभारित हो

प्रभारों की वसूली

45. प्रमाणित शोध्य राशियों का भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकना
46. नहरी देय के संग्रह के लिए संविदा करने की शक्ति
47. लम्बरदारों से नहरी देय का संग्रह करने की अपेक्षा
48. जुर्मानों का धारा 45, 46 और 47 से अपवर्जन

भाग 6

नहरी नौपरिवहन

49. नियमों का उल्लंघन करने वाले जलयानों का निरोध
50. नहरों में नौपरिवहन में अपराधों के लिए जुर्माने की वसूली
51. प्रभार संदाय करने में असफल रहने पर जलयान को अभिग्रहण करने और रोक रखने की शक्ति
52. स्थोरा या माल का अभिग्रहण करने की शक्तियाँ, यदि उनके प्रभार संदत्त नहीं किए गए हों
53. अभिग्रहण के पश्चात् ऐसे प्रभारों की वसूली के लिए प्रक्रिया
54. त्यक्त यानों और बिना दावा किए गए माल की बाबत प्रक्रिया

भाग 7

जल-निकास

55. बाधाओं का प्रतिषेध करने या उन्हें हटाने का आदेश देने की शक्ति
56. प्रतिषेध के पश्चात् बाधा को हटाने की शक्ति
57. सुधार संकर्मों के लिए स्कीमों का बनाया जाना
58. ऐसी स्कीमों पर नियोजित व्यक्तियों की शक्ति
59. संकर्मों द्वारा फायदा पाने वाली भूमियों पर दर
60. दर की वसूली
61. प्रतिकर के दावों का निपटाया जाना
62. ऐसे दावों की परिसीमा

भाग 8

नहरों और जल-निकास संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करना

63. ''श्रमिक'' की परिभाषा
64. नहर द्वारा फायदा पाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या विहित करने की शक्ति
65. अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करने की प्रक्रिया
66. अध्यपेक्षा के अधीन श्रमिकों का दायित्व

भाग 9

अधिकारिता

67. इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता
68. जलसरणी में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में मतभेदों का निपटारा
69. साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने की शक्ति

भाग 10

अपराध और शास्तियाँ

70. अधिनियम के अधीन अपराध
71. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति
72. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर
73. बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति
74. "नहर" की परिभाषा

भाग 11

समनुषंगी नियम

75. नियम बनाने, परिवर्तित करने और रद्द करने की शक्ति

अनुसूची [निरसित]

उत्तरी भारत में सिंचाई, नौपरिवहन और जल-निकासी का विनियमन करने के लिए

अधिनियम

उद्देशिका—यत: उन समस्त राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, राज्य सरकार, लोक प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक वाहिकाओं में बहने वाले सभी नदियों और झरनों के जलों का, और स्थिर जल की सभी झीलों और अन्य प्राकृतिक संग्रहों के जलों का उपयोग और नियंत्रण करने की हकदार है और, यत: उक्त राज्यक्षेत्रों में सिंचाई, नौपरिवहन और जल-निकास से सम्बन्धित विधि का संशोधन करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :

उद्देश्यों और कारणों का कथन—सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा पंजाब नहर और जल-निकास अधिनियम (1871 का अधिनियम संख्यांक 30) की धाराओं (चौवालीस से उनचास तक) को, जिनमें सिंचाई योग्य किन्तु सिंचाई न की गई भूमियों पर जल-दर के अधिरोपण का उपबंध है, अननुमोदित कर दिए जाने से, यह प्रस्थापित किया गया है कि उन धाराओं का केवल लोप ही नहीं किया जाए बल्कि संपूर्ण अध्युपाय को पुन: अधिनियमित करके उसे केवल पंजाब पर ही लागू न किया जाए, बल्कि पश्चिमोत्तर प्रान्तों, अवध और मध्य प्रान्तों पर भी लागू किया जाए। इन अपवादों सहित, इस विधेयक के उपबंध पंजाब नहर और जल-निकास अधिनियम के उपबंधों के लगभग समरूप हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन, जिनका कोई महत्व नहीं है, किए गए हैं।

1871 के अधिनियम संख्यांक 30 के "उपायुक्त" के स्थान पर "कलेक्टर" रखा गया है जिसे उपायुक्त को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है।

जल प्रदाय के प्रत्यावर्तन पर भाटक में वृद्धि के लिए उपबंध करने वाली धारा (बारह) में एक घोषणा जोड़ी गई है कि ऐसी वृद्धि, अभिधारी के किसी अन्य आधार पर वृद्धि के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

धारा (सोलह) में, जल-सरणियों के सन्निर्माण या सुधार के आवेदनों को अनुप्रमाणित करने के लिए उपबंध किया गया है।

धारा (बत्तीस) में, नहर खण्ड अधिकारी की उन अवधियों के भीतर, जो समय-समय पर नियत की जाएँ, जल-प्रदाय को रोकने की शक्ति को मान्यता प्राप्त है। यह सर्वव्यापी और प्राचीन सुस्थापित पद्धति के अनुसार है।

रैयत की भूमि की सिंचाई करने के लिए किसी जलसरणी के स्वामी द्वारा प्रदाय किए गए जल का उपयोग करने वाले किसी रैयत का मामला, नहर जल के विक्रय या उसका उप-पट्टा करने के प्रतिषेध से अपवादित है [धारा (बत्तीस) खण्ड (ङ)]।

धारा (सैंतालीस) में लम्बरदारों द्वारा नहरी-देय वसूल करने के लिए उपबन्ध किया गया है।

जल-निकास संकर्मों द्वारा फायदा पाने वाली कृषि भूमि की दशा में, धारा (अठावन) के अधीन ऐसी दर, सामान्यत: ऐसी भूमि के संबंध में भू-राजस्व के रूप में निर्धारणीय रकम से अधिक नहीं होगी। यह परिसीमा अधिनियम की धारा (चौंसठ) के खण्ड दो में अंतर्विष्ट परिसीमा से अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 कहा जा सकता है।

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार [1][उत्तर प्रदेश और [2][उन राज्यक्षेत्रों पर है जो एक नवम्बर, 1956 के ठीक पहले पंजाब और दिल्ली राज्यों में समाविष्ट थे]] और सभी भूमियों को लागू होता है चाहे स्थायी रूप से व्यवस्थापित हों, अस्थायी रूप से व्यवस्थापित हों या राजस्व से मुक्त हों।

[3][* * * *]

2. अधिनियमों का निरसन—[4][* * *]

3. निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो :—

(1) *''नहर''* नहर के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) जल के प्रदाय या भंडारकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित सभी नहरें, वाहिकाएँ और जलाशय;

(ख) ऐसी नहरों, वाहिकाओं या जलाशयों से सम्बन्धित सभी संकर्म, तटबंध, संरचनाएँ, प्रदाय और अतिजल वाहिकाएँ;

(ग) इस धारा के द्वितीय खण्ड में यथापरिभाषित सभी जल सरणियाँ;

(घ) किसी नदी, सरिता, झील या जल के प्राकृतिक संग्रह, या प्राकृतिक जल-निकास वाहिका का कोई भाग जिसको राज्य सरकार ने इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्ध लागू किए हैं;

(2) *''जलसरणी''* जलसरणी से ऐसी वाहिका अभिप्रेत है जिसमें किसी नहर से पानी प्रदाय किया जाता है किन्तु जिसका अनुरक्षण राज्य सरकार के खर्चे पर नहीं किया जाता है और ऐसी वाहिका के सभी सहायक संकर्म;

(3) *''जल निकास संकर्म''* जल निकास संकर्म के अन्तर्गत किसी नहर से अतिजल वाहिका, बाढ़ से या कटाव से भूमि के संरक्षण के लिए इस अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या अनुरक्षित बाँध, वीयर, तटबन्ध स्लूस, पुलनिरोध और अन्य संकर्म हैं; किन्तु इसके अन्तर्गत शहरों से मल हटाने के संकर्म नहीं हैं;

*(4) *''जलयान''* जलयान के अन्तर्गत नौका, बेड़ा काष्ठ और अन्य प्लवमान वस्तुएँ हैं;

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा यथासंशोधित मूल शब्दों के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित। अधिनियम मूलत: उन राज्यक्षेत्रों पर, जो अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रान्त हैं, विस्तारित किया गया। इसे मध्य प्रान्त सिंचाई अधिनियम, 1931 (1931 का मध्य प्रान्त 3) द्वारा मध्य प्रान्त में निरसित किया गया। इसके, पंजाब लघु नगर अधिनियम, 1905 (1905 का पंजाब अधिनियम सं० 3) की अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के अधीन फिलहाल सम्मिलित किसी नहर पर लागू न होने की घोषणा की गई, देखिए उस अधिनियम की धारा 2(3)। अधिनियम का संशोधन, पंजाब में 1953 के पंजाब अधिनियम सं० 19, 1960 के पंजाब अधिनियम सं० 22 और 1974 के पंजाब अधिनियम सं० 18 द्वारा; उत्तर प्रदेश में 1956 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30 और 1974 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16 द्वारा; तथा हरियाणा में 1971 के हरियाणा अधिनियम सं० 4 और 1974 के हरियाणा अधिनियम सं० 29 द्वारा किया गया
2. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा ''पंजाब और दिल्ली राज्यों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित
3. 1874 के अधिनियम सं० 16 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा प्रारम्भिक पैरा निरसित किया गया
4. निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित

* साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3(3) में परिभाषा *देखिए*

(5) *"आयुक्त"* आयुक्त से खण्ड का आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी है।

*(6) *"कलेक्टर"* कलेक्टर से जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त उपायुक्त या अन्य अधिकारी भी है;

(7) *"नहर अधिकारी"* नहर अधिकारी से इस अधिनियम के अधीन किसी नहर या उसके किसी भाग पर नियंत्रण या अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

"नहर अधीक्षक अधिकारी" नहर अधीक्षक अधिकारी से किसी नहर या नहर के प्रभाग पर साधारण नियंत्रण रखने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

"नहर खण्ड अधिकारी" नहर खण्ड अधिकारी से नहर के किसी खण्ड पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

"नहर उपखण्ड अधिकारी" नहर उपखण्ड अधिकारी से नहर के किसी उपखण्ड पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

(8) *"जिला"* जिला से राजस्व प्रयोजनों के लिए नियत किया गया जिला अभिप्रेत है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

(1) (i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, धारा 3 के खण्ड (4) और (7) के प्रावधान किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में उपयोजित नहीं हैं।

(ii) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, खण्ड (6) में "उपायुक्त या अन्य" शब्दों के स्थान पर शब्द "एक" रखा गया।

(2) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, खण्ड (8) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर, एक अर्ध विराम रखा गया और तत्पश्चात् खण्ड (9) एवं (10) को बढ़ाया गया—

" (9) *"सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र"* से ऐसी कृषियोग्य भूमि या बागान भूमि अभिप्रेत है जिसे एक नहर में एकल जल-निकास या एक मात्र नलकूप द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ समादेशित किया जा सकता है और जिसकी सीमाएँ इस निमित्त "नहर खण्ड अधिकारी" द्वारा निश्चित की जाती हैं; और

(10) *"विहित"* से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है।"

4. अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर वे अधिकारी घोषित कर सकती है जिनके द्वारा, और वे स्थानीय सीमाएं जिनके अन्दर, इसमें इसके पश्चात् प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा।

धारा 3 के खण्ड (7) में उपवर्णित सभी अधिकारी ऐसे अधिकारियों के आदेश के अधीन होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा धारा 4 के प्रावधान उ० प्र० में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में उपयोजित नहीं हैं।

भाग 2

लोक प्रयोजनों के लिए जल का उपयोजन

5. जब जलप्रदाय का लोक प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाना है तब अधिसूचना का जारी किया जाना—जब कभी राज्य सरकार को यह समीचीन प्रतीत होता है कि किसी प्राकृतिक वाहिका में

---

* साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 *देखिए*

बहने वाली किसी नदी या सरिता या किसी झील या स्थिर जल के किसी अन्य प्राकृतिक संग्रह के जल का किसी विद्यमान या परियोजित नहर या जल-निकास संकर्म के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोजन या प्रयोग किया जाना चाहिए तो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि उक्त जल उक्त अधिसूचना में नियत दिन के पश्चात्, जो उस तारीख से तीन मास के पूर्व नहीं होगा, तदनुसार उपयोजित या प्रयोग किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा धारा 5 के प्रावधान उ० प्र० में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में उपयोजित नहीं हैं।

6. नहर अधिकारी की शक्तियाँ—इस प्रकार नियत दिन के पश्चात् किसी भी समय, कोई नहर अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कार्य करते हुए, किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है और किन्हीं बाधाओं को हटा सकता है, और वाहिकाओं को बन्द कर सकता है और उक्त जल के इस प्रकार उपयोग या प्रयोग के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य कर सकता है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

(i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, शब्द "इस प्रकार नियत दिन" के स्थान पर शब्द "उ० प्र० राज्य नलकूप अधिनियम, 1936 का प्रारम्भ" प्रतिस्थापित किए गए और शब्द "उक्त जल के इस प्रकार उपयोग या प्रयोग" के स्थान पर शब्द "राज्य नलकूप के प्रयोजनार्थ भूतल के नीचे के जल के उपयोग या प्रयोग" प्रतिस्थापित किए गए।

(ii) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 4 सन् 1954 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, उ० प्र० में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द "नहर अधिकारी" के लिए इस धारा के संदर्भ में "नलकूप अधिकारी" माना जाएगा।

7. प्रतिकर के दावों के बारे में सूचना—ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना कराएगा, जिसमें यह कथित होगा कि राज्य सरकार उक्त जलों का यथापूर्वोक्त उपयोजन या प्रयोग करना चाहती है, और धारा 8 में उपवर्णित विषयों की बाबत प्रतिकर के लिए दावे उसके समक्ष किए जा सकते हैं।

8. नुकसान जिसके लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा—निम्नलिखित से हुए किसी नुकसान के लिए कोई प्रतिकर अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा—

(क) अन्तःस्रवण या बाढ़ में रोक या कमी;

(ख) जलवायु या मिट्टी का क्षय;

(ग) नौपरिवहन या काष्ठ के बहाने या जानवरों को पानी पिलाने के साधन का रोका जाना;

(घ) श्रमिकों का विस्थापन।

वे विषय जिनकी बाबत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकता है—किन्तु निम्नलिखित विषयों की बाबत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकता है:

(ङ) किसी परिनिश्चित कृत्रिम वाहिका को जो उक्त अधिसूचना की तारीख को उपयोग में है, चाहे भूमि के ऊपर हो या नीचे, किसी प्राकृतिक वाहिका के माध्यम से जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

(च) लाभ के प्रयोजन के लिए किसी जलसरणी पर, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, बनाए गए किसी संकर्म को जो उक्त अधिसूचना की तारीख को उपयोग में है जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

(छ) किसी ऐसी प्राकृतिक वाहिका के, जो उक्त अधिसूचना की तारीख के ठीक पहले पाँच वर्षों के अन्दर सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग में है, माध्यम से जल प्रदाय का रोका जाना या उसमें कमी;

(ज) किसी जलसरणी या किसी जल प्रयोग के किसी अधिकार की बाबत, जिसका कोई व्यक्ति भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15)* के भाग 4 के अधीन हकदार है, किया गया नुकसान;

(झ) कोई अन्य पर्याप्त नुकसान जो ऊपर के खण्ड (क), (ख), ग या (घ) के अधीन नहीं आता है, और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण हुआ है और जो ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत किए जाने के समय अभिनिश्चित और प्राक्कलित किया जा सकता है।

ऐसे प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में, जिस सम्पत्ति की बाबत प्रतिकर का दावा किया गया है, उसके बाजार मूल्य में, प्रतिकर अधिनिर्णीत किए जाने के समय हुई कमी को ध्यान में रखा जाएगा, और जहाँ ऐसा बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है वहाँ प्रतिकर, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक शुद्ध लाभ में हुई कमी के बारह गुने के बराबर रकम समझा जाएगा।

ऐसे किसी संकर्म या वाहिका की बाबत जो इस अधिसूचना की तारीख को प्रयोग में नहीं है इस धारा के खण्ड (ङ), (च) और (छ) में निर्दिष्ट किसी जल प्रदाय के लिए कोई अधिकार राज्य सरकार के विरुद्ध, अनुदान द्वारा या [1]भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) के भाग 4 के अधीन या अनुदान द्वारा ही अर्जित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

और इस धारा के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट किन्हीं फायदों के लिए कोई अधिकार राज्य सरकार के विरुद्ध उसी भाग के अधीन अर्जित नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

(i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा खण्ड (क) और (ग) एवं खण्ड (झ) के निर्देश निकाल दिए गए।

(ii) खण्ड (छ) में शब्द "किसी ऐसी प्राकृतिक वाहिका के, जो सिंचाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग में हैं" के स्थान पर शब्द "कोई कुआँ जो उपयोग में है" प्रतिस्थापित किए गए।

(iii) आखिरी पैरे में, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "खण्ड (क), (ख) एवं (घ)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित किए गए।

9. दावों का परिसीमन—किसी रोक, कमी या नुकसान के लिए, प्रतिकर के लिए कोई दावा ऐसी रोक, कमी या नुकसान से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जब तक कलेक्टर का यह समाधान नहीं हो जाता है कि दावेदार को ऐसी कालावधि के अन्दर दावा नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

10. दावों की जाँच और प्रतिकर की रकम—कलेक्टर ऐसे दावों की जाँच और प्रतिकर की रकम, जो दावेदार को दी जानी चाहिए, यदि कोई हो, अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा और भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 (1870 का 10)** की धारा 9 से 12 (दोनों सहित), 14 और 15, 18 से 23 (दोनों सहित), 26 से 40 (दोनों सहित), 51, 57, 58 और 59 ऐसी जाँच को लागू होंगे :

---

* अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) *देखिए*

** अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) *देखिए*

परन्तु उक्त धारा 26 के अन्तिम खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा :

''इस धारा के और उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) की धारा 8 के उपबन्ध, प्रत्येक असेसर को इसके पहले कि वह अधिनिर्णीत किए जाने वाले प्रतिकर के बारे में अपनी राय दे, ऐसी भाषा में पढ़कर सुनाए जाएंगे जो वह समझता है।''

11. जल प्रदाय में अवरोध होने पर भाटक का उपशमन—अपर्यवसित पट्टे के अधीन धारण करने वाला या अधिभोग का अधिकार रखने वाला प्रत्येक अभिधारी, जो उस समय किसी भूमि के अधिभोग में है जब जल प्रदाय में कोई ऐसी रोक या कमी होती है, जिसकी बाबत धारा 8 के अधीन प्रतिकर अनुज्ञेय है, इस आधार पर उक्त भूमि के लिए उसके द्वारा तत्पूर्व संदेय भाटक के उपशमन का दावा कर सकता है कि अवरोध के कारण भूधृति का मूल्य घट जाता है।

12. जल प्रदाय के प्रत्यावर्तन पर भाटक में वृद्धि—यदि ऐसी भूधृति के मूल्य में वृद्धि करने वाला जल प्रदाय उक्त भूमि में बाद में प्रत्यावर्तित किया जाता है तो, अभिधारी का भाटक, प्रत्यावर्तित जल प्रदाय के कारण ऐसी भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि की बाबत, ऐसी रकम तक बढ़ाया जा सकता है जो उस रकम से अनधिक है जो उपशमन के ठीक पहले थी।

ऐसी वृद्धि केवल प्रत्यावर्तित जल प्रदाय के कारण होगी, और अभिधारी के किसी अन्य आधार पर भाटक में वृद्धि के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी।

13. प्रतिकर का शोध्य होना—इस भाग के अधीन प्रतिकर के लिए संदेय धन की सभी राशियाँ परिवादित रोके जाने, कमी या नुकसान की बाबत ऐसे प्रतिकर का दावा किए जाने पर तीन मास के पश्चात् शोध्य हो जाएँगी।

ब्याज—और उक्त तीन मास के पश्चात् ऐसी शेष असंदत्त राशि पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा, उस दशा के सिवाय जहाँ ऐसी राशि का असंदाय दावेदार की जानबूझकर की गई उपेक्षा या उसे प्राप्त करने से इंकार के कारण हुआ है।

भाग 3

संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण

14. प्रवेश और सर्वेक्षण की शक्ति आदि—कोई नहर अधिकारी, या नहर अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति।

नहर के पार्श्वस्थ भूमि पर, या ऐसी भूमि पर जिसमें से होकर किसी नहर के बनाए जाने की प्रस्थापना है, प्रवेश कर सकता है और उस पर सर्वेक्षण या तल मापन कर सकता है।

और अवमृदा को खोद सकता है और उसमें बोर कर सकता है।

और ़ुक्त भूमि चिह्न, समतल चिह्न और जल गेज बना सकता है और स्थगित कर सकता है।

और, उक्त नहर अधिकारी के भारसाधन के अधीन किसी विद्यमान या परियोजित नहर से संबंधित किसी जांच के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य कर सकता है।

भूमि को साफ करने की शक्ति—और, जहाँ ऐसी जांच अन्यथा पूरी नहीं की जा सकती है वहाँ ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के भाग को काट सकता है और साफ कर सकता है।

जल प्रदाय का निरीक्षण और विनियमन करने की शक्ति—और प्रदाय किए गए जल के उपयोग का निरीक्षण या विनिमय करने के , या उसके द्वारा सिंचित या जल दर से प्रभार्य भूमि का माप करने के, और ऐसी नहर के उचित विनियमन और प्रबंध के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि, भवन या जलसरणी पर भी, जिसके कारण कोई जल दर प्रभार्य है, प्रवेश कर सकता है।

गृह में आशयित प्रवेश की सूचना—परन्तु, यदि ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति किसी भवन या घिरे हुए आंगन या निवास-गृह से लगे हुए उद्यान में, जिसे नहर से बहने वाला जल प्रदाय नहीं किया जाता है, प्रवेश की प्रस्थापना करता है तो वह ऐसे भवन, आंगन या उद्यान के अधिभोगी को अपने ऐसा करने के आशय की कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देगा।

प्रवेश के कारण होने वाले नुकसान के लिए प्रतिकर—इस धारा के अधीन प्रत्येक प्रवेश की दशा में, नहर अधिकारी ऐसे प्रवेश के समय पर, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए प्रतिकर निविदत्त करेगा और इस प्रकार निविदत्त रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद की दशा में वह कलेक्टर द्वारा विनिश्चय के लिए उसे तुरन्त निर्दिष्ट करेगा, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द ''नहर अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''नलकूप अधिकारी'' रखे गए।

15. मरम्मत के लिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवेश की शक्ति—किसी नहर में कोई दुर्घटना या दुर्घटना की आशंका होने की दशा में, नहर खण्ड अधिकारी या इस निमित्त उसके साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी नहर के पार्श्वस्थ भूमियों पर प्रवेश कर सकता है, और मरम्मत करने या ऐसी दुर्घटना को रोकने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संकर्म कर सकता है।

भूमि को नुकसान के लिए प्रतिकर—ऐसी प्रत्येक दशा में, ऐसा नहर अधिकारी या व्यक्ति उक्त भूमियों को किए गए सभी नुकसान के लिए उक्त भूमियों के स्वामी या अधिभोगियों को प्रतिकर निविदत्त करेगा। यदि ऐसा निविदान स्वीकार नहीं किया जाता है तो, नहर अधिकारी मामले को कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा, जो नुकसान के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो राज्य सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 (1870 का 10)* की धारा 43 के अधीन भूमि के अधिभोग के लिए निदेश दिया हो।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द ''नहर अधिकारी'' और ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नलकूप अधिकारी'' और ''खण्ड अधिकारी'' रखे गए।

16. नहर के जल का उपयोग करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आवेदन—किसी नहर के जल का उपयोग करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, नहर के उस खण्ड या उपखण्ड के जिससे जलसारणी प्रदाय की जानी है, खण्ड अधिकारी को, आवेदकों के खर्चे पर जलसारणी निर्मित करने या उसमें अभिवृद्धि करने का अनुरोध करते हुए लिखित आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अन्तर्वस्तु—आवेदन में किए जाने वाले संकर्म, उनकी प्राक्कलित लगभग लागत, या उसके लिए वह रकम जो आवेदक संदाय करने के लिए रजामन्द हैं या यह कि क्या वे नहर खण्ड अधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली वास्तविक लागत संदाय करने का अनुबन्ध करते हैं और किस प्रकार संदाय किया जाएगा, कथित होगा।

आवेदकों का संकर्म के खर्चे के लिए दायित्व—जब नहर अधीक्षक अधिकारी को किसी आवेदन की अनुमति दी जाती है तब, कलेक्टर के समक्ष आवेदन के सम्यक्तः प्रमाणित किए जाने के पश्चात् सभी आवेदक, पृथक् और संयुक्त रूप से उसमें उल्लिखित विस्तार तक ऐसे संकर्म के खर्चे के लिए दायी होंगे।

---

* अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) *देखिए*

शोध्य रकम की वसूली—ऐसे आदेवन के निबंधनों के अधीन शोध्य होने वाली कोई रकम जो नहर खण्ड अधिकारी को, या उसके द्वारा उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, जिस तारीख को वह शोध्य हो जाती है उसको या उसके पहले संदत्त नहीं की जाती है तो ऐसे अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, धारा 16 में, किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'', ''नहर उपखण्ड अधिकारी'' और ''नहर अधीक्षक अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''खण्ड अधिकारी'', ''उपखण्ड अधिकारी'' और ''अधीक्षक अभियन्ता'' प्रतिस्थापित किए गए।

17. सरकार का नहरों को पार करने के साधन की व्यवस्था करना—राज्य सरकार के खर्चे पर निर्मित या अनुरक्षित नहरों को पार करने के उपयुक्त साधनों को ऐसे स्थानों पर जो पार्श्वस्थ भूमि के निवासियों की युक्तियुक्त सुविधा के लिए राज्य सरकार आवश्यक समझे, राज्य सरकार के खर्चे पर व्यवस्था की जाएगी।

ऐसी भूमियों के कम से कम पांच स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव के कथन की प्राप्ति पर कि किसी नहर पर उपयुक्त क्रासिंग का प्रबन्ध नहीं किया गया है, कलेक्टर उस मामले की परिस्थितियों की जाँच करेगा और यदि वह सोचता है कि कथन साबित हो गया है तो, वह उस पर अपनी राय राज्य सरकार के विचार के लिए रिपोर्ट करेगा, और राज्य सरकार उसके निर्देश में ऐसे अध्युपाय कराएगी जो वह उचित समझे।

18. जलसरणी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का सड़क आदि के पार, जल के जाने के लिए संकर्म निर्माण—नहर खण्ड अधिकारी किसी जलसरणी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी सार्वजनिक मार्ग, नहर या ज़ल-निकास जलसरणी बनाए जाने के पहले उपयोग में थे, पार ऐसी जलसरणी के जल के बहने के लिए उपयुक्त पुल, पुलिया या अन्य संकर्म निर्माण करने का या ऐसे संकर्म की मरम्मत करने का आदेश जारी कर सकता है।

ऐसा आदेश युक्तियुक्त अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसमें ऐसा निर्माण या मरम्मत पूरी की जाएगी।

उनके करने के अभाव में नहर अधिकारी निर्माण कर सकेंगे—और यदि, ऐसे आदेश के प्राप्ति के पश्चात्, वे व्यक्ति जिनको वह सम्बोधित है, उक्त कालावधि के अन्दर, उक्त नहर अधिकारी के सामाधानपर्यन्त ऐसे संकर्म का निर्माण या मरम्मत नहीं कर सकते हैं तो वह, नहर अधीक्षक अधिकारी के पूर्वानुमोदन से स्वयं उसका निर्माण या मरम्मत कर सकता है।

और खर्चा वूसूल करना—और यदि उक्त व्यक्ति, जब अपेक्षा की जाए, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा घोषित मरम्मत या निर्माण का खर्चा संदाय नहीं कर सकते हैं, तो, नहर खण्ड अधिकारी की माँग पर वह रकम, उनसे कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू हुआ है, धारा 18 में, किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में, शब्द ''नहर अधिकारी'', ''नहर अधीक्षक अधिकारी'' और ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नलकूप अधिकारी'', ''अधीक्षक अभियन्ता'' और ''उपखण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

19. जलसरणी का संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच दावों का समायोजन—यदि, किसी जलसरणी के निर्माण या अनुरक्षण के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार या अन्य व्यक्तियों के साथ जलसरणी का संयुक्त रूप से उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के खर्चे के अपने अंश का संदाय करने, या ऐसे निर्माण या अनुरक्षण के लिए आवश्यक किसी संकर्म को निष्पादित करने के अपने अंश की उपेक्षा करता है या उससे इंकार करता है तो नहर खण्ड या

उपखण्ड अधिकारी ऐसी उपेक्षा या इंकार से क्षतिग्रस्त किसी व्यक्ति से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, सभी सम्पृक्त पक्षकारों पर यह सूचना तामील करेगा कि तामील से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, वह मामले का अन्वेषण करेगा, और उसी अवधि की समाप्ति पर, तदनुसार मामले का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे।

ऐसे आदेश की अपील आयुक्त को हो सकेगी जिसका उस पर आदेश अन्तिम होगा।

शोध्य पाई जाने वाली रकम की वसूली—विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर संदाय किए जाने के लिए ऐसे आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई राशि, यदि ऐसी कालावधि के अन्दर संदत्त नहीं किया जाता है, और यदि आदेश प्रवृत्त बना रहता है तो, उसका संदाय करने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति से कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12, सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, धारा 19 में, किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में शब्द ''खण्ड या उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड या उपखण्ड अधिकारी'' रखे गए।

20. बीच की जलसरणी द्वारा जल प्रदाय—जब कभी नहर खण्ड अधिकारी को किसी नहर से जल प्रदाय के लिए आवेदन किया जाता है, और उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा प्रदाय करना समीचीन है और वह किसी विद्यमान जलसरणी द्वारा किया जाना चाहिए तो, वह ऐसी जलसरणी का अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को, ऐसे दिन जो सूचना की तारीख से चौदह दिन से कम न हो, यह हेतुक दर्शित करने की सूचना देगा कि क्यों उक्त प्रदाय इस प्रकार न किया जाए; और ऐसे दिन जाँच करने के पश्चात् नहर खण्ड अधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या और किन शर्तों पर ऐसी जलसरणी द्वारा उक्त प्रदाय किया जाएगा।

जब ऐसा अधिकारी यह अवधारित करता है कि यथापूर्वोक्त किसी जलसरणी द्वारा नहर जल प्रदाय किया जा सकता है तब, उसका विनिश्चय, नहर अधीक्षक अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने या उपान्तरित किए जाने पर, आवेदक पर और उक्त जलसरणी के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।

ऐसा आवेदक ऐसी जलसरणी का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उसने ऐसी जलसरणी में, जलसरणी के माध्यम से उसको जल प्रदाय किए जाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने के खर्चे और ऐसी जलसरणी की प्रथम लागत का ऐसा हिस्सा जो नहर अधीक्षक या खण्ड अधिकारी अवधारित करे, संदाय न कर दिया हो।

ऐसा आवेदक ऐसी जलसरणी के जब तक वह उसका उपयोग करता है अनुरक्षण के खर्चे के हिस्से के लिए भी दायी होगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12, सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, धारा 20 में शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' और ''नहर अधीक्षक अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''खण्ड अधिकारी'' और ''अधीक्षक अभियन्ता'' रखे गए।

21. नई जलसरणी के निर्माण के लिए आवेदन—कोई व्यक्ति जो नई जलसरणी का निर्माण करना चाहता है, नहर खण्ड अधिकारी को एक लिखित आवेदन दे सकता है जिसमें यह कथित होगा—

(1) कि उसने उस भूमि के स्वामियों से जिसमें से होकर वह ऐसी जलसरणी को ले जाना चाहता है, उतनी भूमि के जितनी ऐसी जलसरणी के लिए आवश्यक हो, अधिभोग के अधिकार को अर्जित करने के लिए विफल प्रयास किया है;

(2) कि वह यह चाहता है कि उक्त नहर अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्चे पर, ऐसा अधिकार अर्जित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करे;

(3) कि वह ऐसे अधिकार के अर्जन में और ऐसी जलसरणी के निर्माण में होने वाले सभी खर्चे को चुकाने में समर्थ है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, शब्द ''नहर अधिकारी'' और ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नलकूप अधिकारी'' और ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

22. इस पर नहर अधिकारी की प्रक्रिया—यदि वह खण्ड अधिकारी यह समझता है कि—

(1) ऐसी जलसरणी का निर्माण समीचीन है, और

(2) आवेदन में के कथन सत्य हैं,

तो वह, आवेदक से ऐसा निक्षेप करने की मांग करेगा जो नहर खण्ड अधिकारी प्रारंभिक कार्यवहियों के खर्चे को चुकाने के लिए और उस प्रतिकर की रकम को चुकाने के लिए आवश्यक समझे जो वह धारा 28 के अधीन शोध्य हो जाने के लिए संभाव्य समझे;

और, ऐसा निक्षेप किए जाने पर, वह उक्त जलसरणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संरेखण के लिए जाँच कराएगा, और उस भूमि को चिह्नित कराएगा, जिसका उसकी राय में, उसके निर्माण के लिए अधिभोग करना आवश्यक हो, और ऐसे प्रत्येक ग्राम में जिसमें से होकर उस जलसरणी को ले जाना प्रस्थापित है, एक सूचना प्रकाशित करेगा कि ऐसी भूमि का इतना भाग जो ऐसे ग्राम का है इस प्रकार चिह्नित किया गया है, और ऐसी सूचना की एक प्रति ऐसे प्रत्येक जिले के कलेक्टर को भेजेगा जिसमें ऐसी भूमि का कोई भाग अवस्थित है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में राज्य नलकूप के सम्बन्ध में किया गया है, इस धारा में शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

23. विद्यमान जलसरणी के अन्तरण के लिए आवेदन—कोई व्यक्ति जो यह चाहता है कि विद्यमान जलसरणी उसके वर्तमान स्वामी से उसको अन्तरित कर दी जाए, नहर खण्ड अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकता है जिसमें यह कथन होगा कि—

(1) उसने ऐसी जलसरणी के स्वामी से ऐसा अन्तरण प्राप्त करने का विफल प्रयास किया है;

(2) वह यह चाहता है कि उक्त नहर अधिकारी उसकी ओर से और उसके खर्चे पर, ऐसे अन्तरण की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी कार्य करे;

(3) वह ऐसे अन्तरण का खर्चा चुकाने में समर्थ है।

इस पर क्रिया—यदि नहर खण्ड अधिकारी यह समझता है कि—

(क) उक्त अन्तरण ऐसी जलसरणी से सिंचाई के अच्छे प्रबन्ध के लिए आवश्यक है; और

(ख) आवेदन में किए गए कथन सत्य हैं,

तो वह, आवेदक से ऐसा निक्षेप करने की मांग करेगा जो नहर खण्ड अधिकारी प्रारंभिक कार्यवाहियों के खर्चे को चुकाने के लिए और उस प्रतिकर की रकम को चुकाने के लिए आवश्यक समझे जो वह धारा 28 के अधीन शोध्य हो ज़ाने के लिए संभाव्य समझे;

और ऐसा निक्षेप किए जाने पर, वह आवेदन की सूचना प्रत्येक क्रम में प्रकाशित करेगा, और सूचना की एक प्रति प्रत्येक ऐसे जिले के, जिसमें से होकर ऐसी जलसरणी जाती है, कलेक्टर को भेजेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, शब्द ''नहर अधिकारी'' और ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नलकूप अधिकारी'' और ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

24. आवेदित निर्माण या अन्तरण पर आक्षेप—यथास्थिति, धारा 22 या धारा 23 के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर, उस भूमि या जलसरणी से, जिसके प्रति सूचना में निर्देश है, हितबद्ध कोई व्यक्ति कलेक्टर को अर्जी द्वारा उस निर्माण या अन्तरण पर जिसके लिए आवेदन किया गया है, अपने आक्षेपों का कथन करते हुए आवेदन कर सकता है।

कलेक्टर या तो अर्जी को अस्वीकार कर सकता है या नहर खण्ड अधिकारी को उस स्थान और समय की पूर्व सूचना देते हुए जहाँ जाँच की जाएगी, आक्षेपों की विधिमान्यता पर जाँच की कार्यवाही कर सकता है।

कलेक्टर इस धारा के अधीन उसके द्वारा पारित सभी आदेशों को और उनके आधारों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, इस धारा में शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' रखे गए।

25. कब आवेदक को अधिभोग दिया जा सकता है—यदि ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया जाता है या (जहाँ ऐसा आक्षेप किया जाता है) यदि कलेक्टर उसे नामंजूर कर देता है तो वह, नहर खण्ड अधिकारी को उस प्रभाव की सूचना देगा, और उक्त आवेदक को, यथास्थिति, चिह्नित भूमि का या अन्तरित की जाने वाली जलसरणी का अधिभोग तुरन्त देने की कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' रखे गए।

26. जब आक्षेप का विधिमान्य होना अभिनिर्धारित किया जाता है तब प्रक्रिया—यदि कलेक्टर यथापूर्वोक्त किए गए किसी आक्षेप को विधिमान्य समझता है तो वह नहर खण्ड अधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा और यदि ऐसा अधिकारी ठीक समझे तो वह, धारा 21 के अधीन आवेदन की दशा में, इस प्रकार चिह्नित भूमि की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है और धारा 22 के अधीन नई सूचना दे सकता है; और इसमें इसके पहले उपबन्धित प्रक्रिया ऐसी सूचना को लागू होगी, और उस पर कलेक्टर जैसा पहले उपबन्धित है, कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू है, शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' रखे गए।

27. जब नहर अधिकारी कलेक्टर से असहमत हो तब प्रक्रिया—यदि नहर अधिकारी कलेक्टर से असहमत है तब, मामले को आयुक्त के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा, और कलेक्टर, यदि ऐसे विनिश्चय के लिए इस प्रकार निदेश किया जाता है तो, धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त आवेदक को, यथास्थिति, इस प्रकार चिह्नित भूमि का या अन्तरित की जाने वाली जलसरणी का अधिभोग दिलाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप को लागू है, शब्द ''नहर अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

28. अधिभोग प्राप्त करने के पहले आवेदक द्वारा खर्चों का संदाय—किसी आवेदक को ऐसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि उसने कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसी रकम संदाय न कर दी हो। कलेक्टर, इस प्रकार अधिभोग में दी गयी या अन्तरित भूमि या जलसरणी के लिए और ऐसे अधिभोग या अन्तरण के अनुषंगी सभी खर्चों सहित ऐसी भूमि के चिह्नित किए जाने या अधिभोग द्वारा कारित किसी नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में, शोध्य अवधारित करे।

प्रतिकर नियत करने की प्रक्रिया—कलेक्टर इस धारा के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1870 (1870 का 10)* के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करेगा; किन्तु यदि प्रतिकर पाने वाला व्यक्ति ऐसा चाहे तो वह, ऐसे प्रतिकर को अधिभोग में ली गई या अन्तरित भूमि या जलसरणी की बाबत संदेय भाटक प्रभार के रूप में अधिनिर्णीत कर सकता है।

प्रतिकर और खर्चों की वसूली—यदि ऐसा प्रतिकर और खर्चे उनको पाने के हकदार व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर संदाय नहीं किए जाते हैं तो वह रकम कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो और वसूल की जाने पर, उसे पाने के हकदार व्यक्ति को संदाय की जाएगी।

29. जिसे अधिभोग दिलाया गया है उस आवेदक पर आबद्धकर शर्तें—जब कभी ऐसे आवेदक को यथापूर्वोक्त किसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग दिया जाता है तब, उस पर उसके हित प्रतिनिधियों पर निम्नलिखित नियम और शर्तें आबद्धकर होंगी :

प्रथम—ऐसी जलसरणी के, उसके विनिर्माण के पहले से विद्यमान जलसरणियों के और उसके द्वारा अन्त:रुद्ध जल-निकास के पार जाने के लिए, और पड़ोस की भूमि की सुविधा के लिए उसके आर-पार उचित संचार व्यवस्था करने के लिए, सभी आवश्यक संकर्म आवेदक द्वारा निर्मित किए जाएँगे और नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त उसके द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा अनुरक्षित किए जाएंगे।

द्वितीय—धारा 22 के उपबन्धों के अधीन किसी जलसरणी के लिए अधिभोग में रखी गई भूमि का उपयोग केवल ऐसी जलसरणी के प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

तृतीय—प्रस्थापित जलसरणी नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त आवेदक के उस भूमि को अधिभोग में दिए जाने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर पूरी की जाएगी।

उन दशाओं में जिनमें भाटक प्रभार के निबन्धनों पर भूमि का अधिभोग किया जाता है या जलसरणी अन्तरित की जाती है।

चतुर्थ—आवेदक या उसका हित प्रतिनिधि, जब तक वह ऐसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग करता है, उसके लिए ऐसी दर पर और ऐसे दिन भाटक का संदाय करेगा जो कलेक्टर द्वारा आवेदक को अधिभोग देते समय अवधारित किए जाएँ।

पंचम—यदि इन नियमों में से किसी के भंग के कारण भूमि अधिभोग में रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो, उक्त भाटक को संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा जब तक आवेदक या उसका हित प्रतिनिधि भूमि को उसकी आरम्भिक दशा में प्रत्यावर्तित न कर दे, या जब तक वह उक्त भूमि को की गई क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा अवधारित रकम कलेक्टर द्वारा अवधारित व्यक्तियों को संदाय न कर दे।

षष्ठ—कलेक्टर, ऐसे भाटक या प्रतिकर को प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के आवेदन पर, शोध्य भाटक की रकम अवधारित कर सकता है या ऐसे प्रतिकर की रकम निर्धारित कर सकता है; और यदि ऐसे भाटक या

---

* अब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) *देखिए*

प्रतिकर का आवेदक या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा संदाय नहीं किया जाता है तो, कलेक्टर वह रकम, उसके शोध्य हो जाने की तारीख से छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज सहित इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो, और वसूल हो जाने पर उसे उस व्यक्ति को संदाय करेगा जिसको वह शोध्य है।

यदि इस धारा द्वारा विहित किसी नियम और शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है,

या इस अधिनियम के अधीन निर्मित या अन्तरित किसी जलसरणी का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग नहीं किया जाता है तो,

आवेदक या उसके हित प्रतिनिधि का, ऐसी भूमि या जलसरणी का अधिभोग करने का अधिकार आत्यान्तिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, इस धारा में, शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

30. विस्तार और परिवर्तनों के लिए अधिभोग को लागू होने वाली प्रक्रिया—इसमें इसके पहले जलसरणी के निर्माण के लिए भूमि के अधिभोग के लिए उपबन्धित प्रक्रिया, जलसरणी के विस्तार या परिवर्तन के लिए और जलसरणी की सफाई से निकली मृदा को जमा करने के लिए भूमि के अधिभोग को लागू होगी।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1953 द्वारा धारा 30 के पश्चात् नयी धारा 30-क से 30-छ अन्तःस्थापित की गई—

"***30-क. सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र के लिए योजना की तैयारी***—नहर खण्ड अधिकारी एक सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने या सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से जलसरणी के निर्माण और ऐसे क्षेत्र में तत्सम्बन्धित किसी काम को करने के लिए किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के विपरीत होते हुए भी, एक योजना तैयार कर सकेगा। योजना अन्तर्विष्ट करेगी—

(i) निकासी स्थान, विद्यमान जलसरणियों, प्रस्तावित जलसरणियों, यदि कोई हो, और तत्सम्बन्धित संकर्मों और पूर्व में ही सेवित क्षेत्र और विद्यमान अथवा प्रस्तावित जलसरणियों द्वारा सेवित किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शित करते हुए एक योजना;

(ii) प्रस्तावित जलसरणियों और तत्सम्बन्धित संकर्मों के निर्माण के प्राक्कलित व्यय को दर्शित करता हुआ एक विवरण;

(iii) रीति जिसमें योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, को दर्शित करता हुआ एक ज्ञापन; और

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जैसी विहित की जाएं।

30-ख. योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा को बुलाना—(1) नहर खण्ड अधिकारी यथाशीघ्र जैसे हो सकेगा धारा 30-क के अधीन तैयार की गई योजना की एक प्रति प्रत्येक ग्राम सभा को एवं खण्ड विकास अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में तद्द्वारा प्रभावित क्षेत्र स्थित है, को अग्रसारित कर देगा, और ग्राम सभा के प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर योजना का अपना अनुमोदन या कोई आपत्तियाँ, सुझाव या उससे सम्बन्धित उपान्तरण उसको प्रस्तुत करने हेतु बुलाएगा।

(2) ग्राम सभा द्वारा योजना की प्रतिलिपि प्राप्त होने से तीन दिनों के भीतर वह नोटिस बोर्ड पर उसे चिपका देगा, और तत्पश्चात् 12 दिनों के बाद इस प्रयोजनार्थ संयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में इस

पर विचार किया जाएगा और ग्राम पंचायत का निर्णय सम्बन्धित ग्राम सभा की ओर से और के लिया समझा जाएगा। निर्णय को उपधारा (1) में अनुज्ञात समय सीमा के भीतर नहर खण्ड अधिकारी को पारेषित किर दिया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी ग्राम सभा द्वारा कोई आपत्तियाँ या सुझाव या उपान्तरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो ग्राम सभा की योजना को अनुमोदित किया हुआ मान लिया जाएगा, जो तदुपरि अन्तिम हो जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा की गई आपत्तियों, उपान्तरणों या सुझावों के प्राप्त होने पर, नहर खण्ड अधिकारी या तो योजना को पुष्ट या संशोधित या उपान्तरित कर सकेगा और तदुपरि इस प्रकार पुष्ट या उपान्तरित योजना अन्तिम हो जाएगी।

(5) जब योजना अन्तिम हो जाती है, तो नहर खण्ड अधिकारी लिखित में नोटिस द्वारा, योजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाने के लिए और विशेषतया जलसरणियों का निर्माण करने या निर्माण कारित कराने और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों को कार्यान्वित करने या कारित कराने के लिए उसके लिए सूचना में नियत अवधि, जिसे समय--समय पर विस्तारित किया जा सकेगा, के भीतर सम्बन्धित ग्राम सभा को बुलवाएगा।

30-ग. योजना के लिए भूमि अधिग्रहण या प्राप्त करना—(1) धारा 30-ख की उपधारा (5) में वर्णित सूचना प्राप्त होने पर ग्राम सभा उन समस्त व्यक्तियों को, जिनकी भूमि पर जलसरणी का निर्माण कराना या जिस पर उससे सम्बन्धित कोई संकर्म का कराया जाना प्रस्तावित है, उपहार या समर्पण के रास्ते, जैसा मामला हो, समस्त विल्लंगमों से मुक्त कथित भूमि के उस हिस्से को सूचना में उसके लिए प्रावधानित अवधि के भीतर उसके पक्ष में अन्तरित कर देने का विकल्प प्रस्तुत करेगी जैसा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।

(2) जहाँ योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि को उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरित या ग्राम सभा के पक्ष में अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है, तो यह—

(i) या तो भूमि को ऐसे दर पर क्रय कर सकेगी जैसा निहित किया जाएगा;

(ii) राज्य सरकार को उसको भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहण करने हेतु आवेदन कर सकेगी; या

(iii) यदि जलसरणियों के निर्माण हेतु भूमि केवल सीमित अवधि के लिए अपेक्षित है, तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 6 के अधीन, भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अधिगृहीत भूमि पर जलसरणी का निर्माण करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि यथा निर्मित जलसरणी का सम्बद्धीकरण लम्बे समय तक रखा जाएगा, तो ग्राम सभा यथाशीघ्र जैसा सक्षम हो, राज्य सरकार को, भूमि को स्थायी आधार पर अधिग्रहण करने के लिए आवेदन करेगी।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा आवेदन करने पर किसी भूमि का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, तो राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी इसके द्वारा इस निमित्त अधिरोपित की जाए, योजना के क्रियान्वयन के लिए इस प्रकार अधिगृहीत भूमि को ग्राम सभा को या उसमें निहित कर देगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन ग्राम सभा को अन्तरिम या उसमें निहित भूमि जिसका प्रबन्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन ग्राम सभा में निहित कर दिया गया है, योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा प्रयुक्त की जाएगी, और यह एतद्द्वारा प्रावधानित रीति में जलसरणियों का निर्माण कराएगी या निर्माण कारित करेगी और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों जैसा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होगी, को कार्यान्वित कराएगी या कराना कारित कराएगी।

(5) योजना का क्रियान्वयन करने में ग्राम सभा प्रथमदृष्ट्या लिखित में नोटिस देकर सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में भूधृति रखने वाले समस्त व्यक्तियों को विहित रीति में छपवाकर ऐसी समयावधि के भीतर जैसा उसके लिए नोटिस में निश्चित किया जाए, जलसरणी का निर्माण कराने हेतु और तत्सम्बन्धित समस्त ऐसे संकर्मों, जैसा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, को कार्यान्वित कारित कराने हेतु विकल्प देगी।

(6) जहाँ सम्बन्धित व्यक्ति किसी जलसरणी के सम्पूर्ण या किसी भाग को या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म को कार्यान्वित करने में, योजना के अनुसार निर्माण करने में असफल रहते हैं, तो ग्राम सभा, पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 17 के अधीन प्रावधानित रीति में लघु सिंचाई योजना के निष्पादन हेतु उसका निर्माण करेगी या कराएगी या निर्माण कारित करेगी या कारित कराएगी।

30-घ. नहर खण्ड अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण—(1) अवधि या विस्तारित अवधि, जैसा मामला हो, जो धारा 30-ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अवसान हो जाने के पश्चात्, नहर खण्ड अधिकारी ग्राम सभा द्वारा निर्मित या निर्माण कराई गई जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का या तो सीधे या सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र के भूधृति धारकों के माध्यम से निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित कराएगा, और यदि वही योजना के अनुसरण में या अन्यथा समुचित रूप से निर्मित है या कराई गई है तो उसका अनुमोदन करेगा।

(2) जहाँ जलसरणियों या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों को योजना के अनुसरण में सम्यक् रूप से निर्मित या कार्यान्वित किए नहीं गए हैं, तो नहर खण्ड अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा से आदेश में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर समस्त त्रुटियों को दूर करने या उपचार करने या दूर करना या उपचारित कराना कारित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश में अनुज्ञात समयावधि के अवसान पर नहर खण्ड अधिकारी जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का पुनः निरीक्षण करेगा, या निरीक्षण कारित कराएगा, और या तो उसका अनुमोदन करेगा या उसका अनुमोदन नहीं करेगा।

30-ङ. राज्य सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन—जहाँ ग्राम सभा असफल रहती है—

(i) धारा 30-ग के प्रावधानों के अनुसरण में उसके द्वारा अपेक्षित अवस्था में से किन्हीं या समस्त को उठाने में; या

(ii) धारा 30-ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में उसके लिए प्रावधानित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर योजना के अनुसरण में सम्पूर्ण जलसरणियों का निर्माण कराने या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों को कार्यान्वित करने या निर्माण कारित कराने में; या

(iii) धारा 30-घ की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जलसरणियों या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म में त्रुटियों को दूर करने, या कथित धारा की उपधारा (3) के अधीन उनके बारे में नहर खण्ड अधिकारी का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करने में;

राज्य सरकार, ऐसी समस्त अवस्था में, भूमि के अर्जन को सम्मिलित करते हुए, जैसा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो सकेगी, उठाएगी, और योजना के अनुसरण में जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का निर्माण कराने या कार्यान्वित किया जाना कारित कराएगी।

30-ङ ङ. वृहत सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान—(1) गंडक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी वृहत् योजना के समादेश से आच्छादित किसी क्षेत्र में सिंचाई खण्ड का नहर खण्ड अधिकारी धारा 30-क में निर्दिष्ट विशिष्टियों को समाविष्ट करते हुए एक योजना तैयार कर सकेगा और तदुपरान्त वह योजना के क्रियान्वयन हेतु जैसा आवश्यक होंगे समस्त कदम उठा सकेगा, और योजना के अनुसरण में जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का निर्माण किया जाना कारित कराएगा, और धारा 30-ख, 30-ग, 30-घ और 30-ङ की कोई बात ऐसी योजना के सम्बन्ध लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नहर खण्ड अधिकारी—

(क) उ० प्र० ग्रामीण विकास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 के अधीन अधिग्रहण प्राधिकारी को योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकेगा; या

(ख) राज्य सरकार को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकेगा; या

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) दोनों के अधीन कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात् , प्रथम स्थिति में भूमि का अधिग्रहण, और तत्पश्चात् अर्जन करने के लिए।

(3) नहर खण्ड अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों को एक नहर उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) धारा 30-च, 30-छ, और 30-क के प्रावधान इस धारा के अधीन तैयार की गई योजना और ऐसी योजना के अधीन विनिर्मित जलसरणियों और अन्य संकर्मों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 30-क, 30-ख, 30-ग, 30-घ और 30-ङ में निर्दिष्ट किसी योजना और उसके अनुसरण में निर्मित जलसरणियों और अन्य संकर्मों को लागू होते हैं। [*देखें* उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 16 सन् 1974, धारा 2 (3 जुलाई, 1974 से प्रभावी)]।

30-च. जलसरणी, इत्यादि का ग्राम सभा में निहित किया जाना—उस तिथि से प्रभावी, जब एक अधिसूचना इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, तो ऐसे निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समस्त जलसरणियाँ और तत्सम्बन्धित कार्यान्वित किए गए समस्त संकर्म, ग्राम सभा, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में यह स्थित है, में निहित हो जाएंगे।

30-छ. जलसरणियों इत्यादि का अनुरक्षण—ग्राम सभा, सभी समयों पर समस्त जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का अनुरक्षण और अच्छी मरम्मत करेगी, जो इसके द्वारा विनिर्मित या कार्यान्वित किए गए हैं, या धारा 30-च के अधीन इसमें निहित कर दी गई है।''

भाग 4

जल प्रदाय

31. लिखित संविदा के अभाव में जल प्रदाय का नियमों के अधीन होना—लिखित संविदा के अभाव में, या जिस सीमा तक किसी ऐसी संविदा का विस्तार नहीं है वहाँ, नहर जल का प्रत्येक प्रदाय इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विहित दरों पर और शर्तों के अधीन दिया गया समझा जाएगा।

32. शर्तें—ऐसी संविदाएँ और नियम निम्नलिखित शर्तों से सुसंगत होंगे :

(क) जल प्रदाय को रोकने की शक्ति के बारे में—नहर खण्ड अधिकारी किसी जलसरणी को या किसी व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, जलप्रदाय नहीं रोकेगा :

(1) जब कभी और जितने समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा आदिष्ट किसी संकर्म को करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रदाय को रोकना आवश्यक है, और इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ले ली गई है;

(2) ठीक हालत में नहीं रखी जाती है तब उससे जल के अपचय निकास को रोकने के लिए;

(3) नहर खण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत कालावधि में;

(ख) *प्रदाय के न होने या रोके जाने की दशा में प्रतिकर के दावे*—राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर किसी कारणवश या नहर में किसी मरम्मत, परिवर्तन या वृद्धि के, या उसमें जल के उचित बहाव को विनियमित करने के लिए किए गए उपायों के, या सिंचाई की स्थापित सरणी बनाए रखने के, जो नहर खण्ड अधिकारी आवश्यक समझे, कारणवश किसी नहर में जल के न होने या रोके जाने से हुई हानि की बाबत प्रतिकर के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा, किन्तु ऐसी हानि उठाने वाला व्यक्ति जल के उपयोग के लिए संदेय साधारण प्रभार से ऐसी छूट का दावा कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है;

(ग) *अन्य कारणों के अवरोध के कारण दावे*—यदि इसके ठीक पहले के खण्ड में वर्णित रीति से भिन्न किसी रीति में किसी नहर से सिंचित किसी भूमि में जल का प्रदाय अवरुद्ध होता है तो, ऐसी भूमि का अधिभोगी या स्वामी ऐसे अवरोध से होने वाली हानि के लिए कलेक्टर को प्रतिकर के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है, और कलेक्टर अर्जीदार को ऐसी हानि के लिए उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है;

(घ) *प्रदाय की अवधि*—जब नहर का जल किसी एक फसल की सिंचाई के लिए प्रदाय किया जाता है तब, ऐसे जल के प्रयोग की अनुज्ञा तभी तक जारी मानी जाएगी जब तक फसल पक नहीं जाती है, और उसी फसल को लागू होने वाली मानी जाएगी; किन्तु, यदि वह एक वर्ष के अन्दर उसी भूमि पर उगाई जाने वाली दो या अधिक फसलों के सिंचाई के लिए प्रदाय किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा सिंचाई के प्रारम्भ से एक वर्ष तक चालू मानी जाएगी, और ऐसी फसलों को ही लागू होगी जो उस वर्ष के अन्दर पक जाती हैं;

(ङ) *नहर जल के उपयोग के अधिकार का विक्रय या उप-पट्टा*—किसी नहर के जल या किसी नहर से सम्बन्धित किसी संकर्म, भवन या भूमि का उपयोग करने का हकदार कोई व्यक्ति, नहर अधीक्षक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना ऐसे उपयोग के अपने अधिकार का विक्रय या उप-पट्टा या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा :

परन्तु इस खण्ड का पूर्वगामी भाग किसी खेतिहर अभिधारी द्वारा धृत भूमि की सिंचाई के लिए जल-सरणी के स्वामी द्वारा प्रदाय किए गए जल के ऐसे अभिधारी द्वारा उपयोग को लागू नहीं होगा;

जल के लिए संविदा का भूमि के साथ अन्तरण—किन्तु राज्य सरकार और किसी स्थावर सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी के बीच, ऐसी सम्पत्ति को नहर जल के प्रदाय के बारे में हुई सभी संविदाएं, उसके साथ अन्तरणीय होंगी, और जब कभी ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण होता है तब इस प्रकार अन्तरित समझी जाएंगी;

(च) *उपयोग से अधिकार का अर्जित न होना*—भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15)* के भाग 4 के अधीन नहर के जल के उपयोग का कोई अधिकार न तो अर्जित किया जाएगा और न अर्जित किया गया समझा जाएगा, और न ही राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जैसा लिखित संविदा के निबन्धनों के अनुसार हो उसके सिवाय, जल प्रदाय करने के लिए आबद्ध होगी।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू है—

(i) खण्ड (क) के उपखण्ड (1) में शब्द ''और इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ले ली गई है'' निकाल दिए गए।

---

* अब परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) *देखिए*

(ii) ''खण्ड (घ)'' निकाल दिया गया।

(iii) शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' और ''नहर अधीक्षक अधिकारी'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''खण्ड अधिकारी'' एवं ''अधीक्षक अभियन्ता'' प्रतिस्थापित किए गए।

भाग 5

जल दर

33. जब अप्राधिकृत रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है तब दायित्व—यदि जलसरणी से प्रदाय किए गए जल का किसी अप्राधिकृत रीति में उपयोग किया जाता है, और यदि वह व्यक्ति जिसके कार्य या उपेक्षा से ऐसा उपयोग हुआ है पहचाना नहीं जा सकता है तो,

वह व्यक्ति जिसकी भूमि पर ऐसा जल बहा है यदि उस भूमि को उससे फायदा पहुँचा है,

या यदि ऐसा व्यक्ति पहचाना नहीं जा सकता है, या यदि ऐसी भूमि को उससे फायदा नहीं पहुँचा है तो, ऐसी जलसरणी से प्रदाय किए गए जल की बाबत प्रभार्य सभी व्यक्ति, ऐसे उपयोग के लिए किए गए प्रभार के लिए, यथास्थिति, दायी होंगे, या संयुक्त रूप से दायी होंगे।

34. जल का अपचय होने पर दायित्व—यदि जलसरणी से प्रदाय किए गए जल का अपचय होने दिया जाता है और यदि नहर खण्ड अधिकारी द्वारा जाँच के पश्चात् उस व्यक्ति का पता नहीं लगता है जिसके कार्य या उपेक्षा से जल का ऐसा अपचय हुआ है तो, ऐसी जलसरणी से प्रदाय किए जाने वाले जल की बाबत प्रभार्य सभी व्यक्ति इस प्रकार अपचय किए गए जल की बाबत प्रभार के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू है, शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

35. प्रभारों का शास्तियों के अतिरिक्त वसूल हो सकना—जल के अप्राधिकृत उपयोग या अपचय के लिए सभी प्रभार ऐसे उपयोग या अपचय के कारण उपगत शास्तियों के अतिरिक्त वसूल किए जा सकेंगे।

धारा 33 और 34 के अधीन प्रश्नों का विनिश्चय—जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी को अपील के अधीन, या ऐसी अन्य अपील के अधीन, जो धारा 75 के अधीन उपबन्धित की जाए, धारा 33 या धारा 34 के अधीन सभी प्रश्नों का, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ, शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

36. जल के लिए अधिभोगी पर प्रभार के अवधारण का ढंग—भूमि के अधिभोगियों को सिंचाई के प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए नहर जल के लिए प्रभारित किए जाने वाले जल की दर, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित की जाएगी, और ऐसे अधिभोगी जो जल ग्रहण करते हैं, तदनुसार संदाय करेंगे।

''अधिभोगी दर''—इस प्रकार प्रभारित दर ''अधिभोगी दर'' कहलाएगी।

[1][इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट नियम यह विहित और अवधारित कर सकते हैं कि कौन-से व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिभोगी समझे जाएंगे, और अभिधारियों के और उन व्यक्तियों के, जिन्हें अभिधारियों ने अपनी भूमि उपपट्टे पर दी हो, या स्वत्वधारियों के और उन व्यक्तियों

---

1. 1899 के अधिनियम संख्या 16 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित

के जिनको स्वत्वधारियों ने अपने द्वारा धारित भूमि को कृषि अधिभोग में पट्टे पर दिया हो, अधिभोगी दर के संदाय की बाबत पृथक्-पृथक् दायित्व भी अवधारित कर सकते हैं।]

उत्तर प्रदेश संशोधन

(i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 22 सन् 1979 द्वारा धारा 36 में, शब्द "राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित की जाएगी" के स्थान पर शब्द "और कोई अन्य आनुषांगिक प्रभार राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे" प्रतिस्थापित किए गए।

(ii) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1963 के द्वारा धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी गई—

"*36-क.* (1) उपधारा (2) में वर्णित व्यक्तियों से विहित रीति में अधिगृहीत या अर्जित भूमि का मूल्य और योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जलसरणियों के निर्माण तथा कार्यान्वित किए गए समस्त संकर्मों का मूल्य वसूलने के लिए एक विकास प्रभार लिया जाएगा और संग्रहीत किया जाएगा, जिसे निम्नवत् आगणित किया जाएगा :

(i) भू-अर्जन और अधिग्रहण की सीमा के लिए 40 पैसा प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर से, और

(ii) जलसरणियों के निर्माण और तत्सम्बन्धित संकर्मों को कार्यान्वित करने के लिए 60 पैसा प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की दर से।

(2) जिन्होंने उपहार के माध्यम से अपनी भूमि, ग्राम सभा को अन्तरित या समर्पित कर दी हो, जैसा मामला हो, उनकी भूमि के ऐसे हिस्से पर किसी जलसरणी का निर्माण किया गया है, या जिस पर तत्सम्बन्धित कोई कार्य किया गया है, के अतिरिक्त सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में भूधृति रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति दायी होगा और ऐसे समय तक उसके मूल्य के रूप में और उस पर $4^1/_2$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूर्ण रूपेण राज्य सरकार को कीमत वसूल हो जाने तक भुगतान करेगा, यदि भू-अर्जन का मूल्य राज्य के समेकित निधि से पूरा किया गया है, या एक ग्राम सभा को, उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन एक विकास खर्च लिया गया है, और उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 30-ग की उपधारा (5), या धारा 30-घ की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में योजना के क्रियान्वयन में असफल रहा है, जहाँ तक यह उसकी भूमि से सम्बन्ध रखता है, ऐसे समय तक इस सम्बन्ध में उपगत खर्च का और उस पर $4^1/_2$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से खर्च का भुगतान तब तक करेगा, और जब तक वह राज्य सरकार या ग्राम सभा, जिसने भी जलसरणियों का निर्माण और तत्सम्बन्धित संकर्मों के कार्यान्वित किए जाने की योजना के क्रियान्वयन में किया हो, को उपधारा (1) के खण्ड (ii) में प्रावधानित दर से ली जाने वाली एक विकास प्रभार का भुगतान करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, विकास प्रभार प्रथम स्थिति में राज्य सरकार को ऐसे समय तक भुगतान योग्य होगा, जहाँ तक उसके द्वारा इस सम्बन्ध में उपगत खर्च, उस पर $2^1/_2$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूर्णरूप से प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।"

37. "स्वामी दर"—अधिभोगी दर के अतिरिक्त, "स्वामी दर" कहलाने वाली एक और दर, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार, नहर सिंचित भूमि के स्वामियों पर, उस फायदे की बाबत, जो वे ऐसी सिंचाई से प्राप्त करते हैं, अधिरोपित की जा सकती हैं।

38. स्वामी दर की रकम—स्वामी दर उस राशि से अधिक नहीं होगी जो, भू-राजस्व के निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, ऐसी भूमि पर नहरी सिंचाई के कारण उसके वार्षिक मूल्य या उसकी उपज में वृद्धि के कारण निर्धारित की जाए और केवल इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि जो स्थायी रूप से व्यवस्थापित है या राजस्व मुक्त है, यह समझी जाएगी मानो वह अस्थायी रूप से व्यवस्थापित है और राजस्व के संदाय की दायी है।

39. स्वामी दर कब प्रभार्य नहीं होगी—सिंचाई दर पर भू-राजस्व के संदाय के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित स्वामी या भूमि के अधिभोगी पर ऐसे निर्धारण के चालू रहने के दौरान स्वामी दर प्रभार्य नहीं होगी।

(2) जहाँ ऐसे आवेदन अनुज्ञात कर दिए गए हैं, तो ऐसी धनराशि लम्बरदार या व्यक्तियों जो किसी सम्पदा का भू-राजस्व का भुगतान करने के अधीन लगे हुए हैं, से कलेक्टर द्वारा उसी प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

(3) किसी सम्पदा के भू-राजस्व के भुगतान में संलग्न अधीनस्थ जमींदारों, अभिधारियों या उप-अभिधारियों से ऐसी राशियाँ संग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा लम्बरदार या व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे नियमों के अधीन होगा, जो भूमि के भाटक या भू-राजस्व के अंश के उसके द्वारा संग्रह की बाबत तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अधिकथित हैं।

(4) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेगी—

(क) इस धारा के अधीन संग्रह करने वाले व्यक्तियों को पारिश्रमिक देने के लिए; या

(ख) ऐसे संग्रह करने में उनके द्वारा उचित रूप से उपगत क्रय की क्षतिपूर्ति करने के लिए; या

(ग) ऐसे दोनों प्रयोजनों के लिए।

48. जुर्मानों का धारा 45, 46 और 47 से अपवर्जन—धारा 45, 46 या 47 की कोई बात जुर्मानों को लागू नहीं होती है।

भाग 6
नहरी नौपरिवहन

49. नियमों का उल्लंघन करने वाले जलयानों का निरोध—कोई जलयान, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के प्रतिकूल किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन करता है, या इस प्रकार प्रवेश या नौपरिवहन करता है कि नहर को या उसमें अन्य जलयानों को संकट कारित होता है, नहर खण्ड अधिकारी द्वारा या इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकता है या रोक रखा जा सकता है या दोनों, हटाया भी जा सकता है और रोक रखा भी जा सकता है।

नुकसान पहुँचाने वाले जलयानों के स्वामियों का दायित्व—किसी नहर को नुकसान पहुँचाने वाले किसी जलयान का, या इस धारा के अधीन हटाए गए या रोक रखे गए किसी जलयान का स्वामी, राज्य सरकार को ऐसी राशि संदाय करने का दायी होगा जो नहर खण्ड अधिकारी, नहर अधीक्षक अधिकारी के अनुमोदन से, यथास्थिति, ऐसी क्षति को ठीक करने के लिए या ऐसे हटाए जाने या रोक रखने के व्यय को चुकाने के लिए आवश्यक अवधारित करे।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में लागू है, भाग 6 के प्रावधान किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में प्रयोज्य नहीं हैं।

50. नहरों में नौपरिवहन में अपराधों के लिए जुर्माने की वसूली—किसी जलयान के स्वामी पर या ऐसे स्वामी के किसी सेवक या अभिकर्ता पर या ऐसे जलयान के भारसाधक अन्य व्यक्ति पर, ऐसे जलयान के नौपरिवहन की बाबत किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, या तो ऐसी रीति में वसूल किया जा सकता है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित हो, या, यदि जुर्माना अधिरोपित करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश करे तो, इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह ऐसे जलयान की बाबत शोध्य प्रभार हो।

51. प्रभार संदाय करने में असफल रहने पर जलयान को अभिग्रहण करने और रोक रखने की शक्ति—यदि इस भाग के उपबन्धों के अधीन किसी जलयान की बाबत शोध्य कोई प्रभार माँगे जाने पर उसका संग्रह करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय नहीं किया जाता है तो, नहर खण्ड अधिकारी ऐसे जलयान को और उसके फर्नीचर को अभिगृहीत कर सकता है और रोक सकता है जब तक इस प्रकार शोध्य प्रभार, ऐसे अभिग्रहण और रोक रखने के कारण होने वाले सभी व्यय और अतिरिक्त प्रभारों सहित पूर्ण रूप से संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं।

52. स्थोरा या माल का अभिग्रहण करने की शक्तियाँ, यदि उनके प्रभार संदत्त नहीं किए गए हों—यदि किसी सरकारी जलयान में किसी नहर पर वहन किए गए, या किसी नहर के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में रखे गए भाण्डागार में या भूमि पर भण्डारकरण किए गए किसी स्थोरा या माल की बाबत इस भाग के उपबन्धों के अधीन शोध्य प्रभार उसे संग्रह करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को माँगे जाने पर संदत्त नहीं किया जाता है तो, नहर खण्ड अधिकारी ऐसे स्थोरा या माल का अभिग्रहण कर सकता है और उसे तब तक रोके रख सकता है जब तक ऐसे अभिग्रहण और रोक रखने के कारण होने वाले सभी व्यय और अतिरिक्त प्रभारों सहित शोध्य प्रभार पूर्णत: संदत्त नहीं कर दिए जाते हैं।

53. अभिग्रहण के पश्चात् ऐसे प्रभारों की वसूली के लिए प्रक्रिया—धारा 51 या धारा 52 के अधीन किसी अभिग्रहण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर, उक्त नहर अधिकारी अभिगृहीत सम्पत्ति के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को यह सूचना देगा कि वह संपत्ति या उसका कोई भाग, जैसा आवश्यक हो, सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन को, किन्तु सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन से पहले नहीं, उस दावे की जिसके कारण ऐसी सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है, तुष्टि के लिए बेच दी जाएगी, यदि इस प्रकार निश्चित दिन के पहले दावा चुका न दिया जाए।

और, यदि ऐसा दावा चुका नहीं दिया जाता है तो, उक्त नहर अधिकारी, ऐसे दिन, अभिगृहीत सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग विक्रय करेगा जो ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के व्यय सहित शोध्य रकम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो :

परन्तु किसी जलयान के फर्नीचर का, किसी स्थोरा या माल का उससे अधिक भाग विक्रय नहीं किया जाएगा जो जहाँ तक हो सके ऐसे जलयान, स्थोरा या माल की बाबत शोध्य रकम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

ऐसे फर्नीचर, स्थोरा या माल और विक्रय आगम का अवशिष्ट भाग अभिगृहीत सम्पत्ति के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के हवाले कर दिए जाएंगे।

54. त्यक्त यानों और बिना दावा किए गए माल की बाबत प्रक्रिया—यदि कोई जलयान किसी नहर में त्यक्त पाया जाता है या किसी नहर पर सरकारी जलयान में वहन किया गया या नहर के प्रयोजन के लिए अधिभोग में रखे गए भाण्डागार में या भूमि पर भण्डारकरण किया गया स्थोरा या माल, दो मास की कालावधि के लिए बिना दावे के छोड़ दिया जाता है तो नहर खण्ड अधिकारी उसका कब्जा ले सकता है।

इस प्रकार कब्जा लेने वाला अधिकारी एक सूचना प्रकाशित कर सकता है कि यदि ऐसे जलयान और उसकी अन्तर्वस्तु का या ऐसे स्थोरा या माल का, उस सूचना में निश्चित दिन के पहले, जो ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के पहले नहीं होगा, दावा नहीं किया जाता है तो वह, उसका विक्रय कर देगा; और यदि ऐसे जलयान, अन्तर्वस्तु, स्थोरा या माल का इस प्रकार दावा नहीं किया जाता है तो, वह सूचना में निश्चित दिन के पश्चात् किसी भी समय, उसका विक्रय करने की कार्यवाही कर सकता है।

विक्रय आगम का व्ययन—उक्त जलयान और उसकी अन्तर्वस्तु, और उक्त स्थोरा या माल, यदि अविक्रीत हैं, या, यदि विक्रय हो गया है तो, विक्रय आगम, कब्जा लेने और विक्रय के कारण नहर खण्ड अधिकारी द्वारा उपगत सभी पथकर प्रभार और व्यय, संदाय करने के पश्चात् नहर खण्ड अधिकारी के समाधानपर्यन्त उसका स्वामित्व साबित कर दिए जाने पर उसके स्वामी के हवाले कर दिए जाएंगे।

यदि नहर खण्ड अधिकारी को सन्देह है कि ऐसी सम्पत्ति का आगम किसके हवाले किया जाए तो वह यह निदेश दे सकता है कि सम्पत्ति यथापूर्वोक्त विक्रय की जाएगी, और आगम जिला खजाने में संदत्त किए जाएँगे, जहाँ वे तब तक धारण किए जाएंगे जब तक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसके अधिकार का विनिश्चय न किया जाए।

भाग 7

जल-निकास

55. बाधाओं का प्रतिषेध करने या उन्हें हटाने का आदेश देने की शक्ति—जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भूमि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुविधा को किसी नदी, सरिता या जल-निकास वाहिका को बाधित करने से कोई क्षति हो सकती है या हुई है तो, ऐसी सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना में परिनिश्चित सीमा के अन्दर किसी बाधा का निर्माण करने का प्रतिषेध कर सकती है या ऐसी सीमा के अन्दर, ऐसी बाधा को हटाने का या अन्य उपान्तर करने का आदेश दे सकती है।

तब ऐसी नदी, सरिता या जल-निकास वाहिका का उतना भाग जो ऐसी सीमा के अन्दर समाविष्ट है, धारा 3 में यथापरिभाषित जल-निकास संकर्म समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसाकि इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, भाग 7 के प्रावधान उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं हैं।

56. प्रतिषेध के पश्चात् बाधा को हटाने की शक्ति—नहर खण्ड अधिकारी, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के पश्चात् ऐसी बाधा कारित करने वाले या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा नियत समय के अन्दर उसे हटाने या उपान्तरित करने क़ा आदेश जारी कर सकता है।

यदि इस प्रकार नियत समय के अन्दर, ऐसा व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता है तो, उक्त नहर अधिकारी स्वत: बाधा को हटा सकता है या उपान्तरित कर सकता है और यदि वह व्यक्ति जिसको आदेश जारी किया गया था, जब मांग की जाती है तब, ऐसे हटाने या उपान्तर में अन्तर्वलित व्यय का संदाय नहीं करता है तो, ऐसे व्यय उससे या उसके हित प्रतिनिधि से कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जा सकेंगे।

57. सुधार संकर्मों के लिए स्कीमों का बनाया जाना—जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं भूमियों के सुधार के लिए या उनकी उचित खेती या सिंचाई के लिए कोई जल-निकास संकर्म आवश्यक है,

या किन्हीं भूमियों के लिए बाढ़ से या जल के अन्य संचय से या किसी नदी कटाव से संरक्षण के लिए अपेक्षित है, तो राज्य सरकार ऐसे जल-निकास संकर्म के लिए एक स्कीम बनवाएगी और उसकी लागत के प्राक्कलन को और ऐसी लागत के उस अनुपात के, जो राज्य सरकार चुकाने की प्रस्थापना करती है, विवरण को और उस स्कीम की बाबत जिन भूमियों को प्रभार्य बनाने की प्रस्थापना हो, उनकी अनुसूची को प्रकाशित कराएगी।

58. ऐसी स्कीमों पर नियोजित व्यक्तियों की शक्ति—ऐसी स्कीमें बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति धारा 14 द्वारा नहर अधिकारियों को प्रदत्त किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

59. संकर्मों द्वारा फायदा पाने वाली भूमियों पर दर—ऐसी स्कीम की बाबत, उन सभी भूमियों के स्वामियों पर जो, ऐसे नियमों द्वारा विहित रीति में, इस प्रकार प्रभार्य अवधारित किए जाएँ, एक वार्षिक दर, राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार, प्रभारित की जा सकती है।

ऐसी दर जहाँ तक हो सके इस प्रकार नियत की जाएगी कि निम्नलिखित परिसीमाओं में से किसी से भी अधिक न हो :

(1) उक्त संकर्मों की प्रथम लागत पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष, उसमें उसके अनुरक्षण और अधीक्षण की प्राक्कलित वार्षिक लागत जोड़कर और उसमें से उक्त दर को अपवर्जित करते हुए संकर्म से होने वाली प्राक्कलित आय, यदि कोई हो, घटाकर;

(2) कृषि भूमि की दशा में, वह राशि जो भू-राजस्व के निर्धारण के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, ऐसी भूमि पर जल-निकास संकर्म द्वारा उसके वार्षिक मूल्य या उसके उत्पाद में हुई वृद्धि के कारण निर्धारित की जाए।

ऐसी दर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा, ऐसे अधिकतम के अन्तर्गत, परिवर्तित की जा सकती है।

जहाँ कोई त्रुटि जिसको ठीक किया जाना है, किसी जलसरणी, मार्ग या अन्य संकर्म या बाधा के कारण, जो राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या कारित की गई है, वहाँ उक्त त्रुटि को ठीक करने के लिए अपेक्षित जल-निकास संकर्म की लागत का आनुपातिक हिस्सा, यथास्थिति, ऐसी सरकार या ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

60. दर की वसूली—ऐसी जल-निकास दर धारा 45, 46 और 47 में जल दरों के संग्रह और वसूली के लिए उपबन्धित रीति में संगृहीत और वसूल की जा सकती है।

61. प्रतिकर के दावों का निपटाया जाना—जब कभी धारा 55 के अधीन दी गई अधिसूचना के अनुसरण में कोई बाधा हटाई जाती है या उपान्तरित की जाती है,

या, जब कभी धारा 57 के अधीन जल-निकास संकर्म किया जाता है,

वहाँ उक्त बाधा के हटाने या उपान्तरित करने के या ऐसे संकर्म के निर्माण के परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि के कारण प्रतिकर के सभी दावे कलेक्टर के समक्ष किए जा सकेंगे और वह उनको धारा 10 में उपबन्धित रीति में निपटाएगा।

62. ऐसे दावों की परिसीमा—ऐसा कोई दावा परिवादित हानि के होने से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर का यह समाधान नहीं हो जाता है कि दावेदार को उक्त कालावधि के अन्दर दावा न करने का पर्याप्त कारण था।

भाग 8

नहरों और जल-निकास संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करना

63. ''श्रमिक'' की परिभाषा—इस भाग में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, ''श्रमिक'' शब्द के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट कोई हस्तशिल्प करते हैं।

64. नहर द्वारा फायदा पाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या विहित करने की शक्ति—किसी भी जिले में जिसमें कोई नहर या जल-निकास संकर्म राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या परियोजित किया जाता है, राज्य सरकार, यदि वह ठीक समझे तो, कलेक्टर को निदेश दे सकती है कि—

(क) उन स्वत्वधारियों, उप-स्वत्वधारियों या कृषकों को अभिनिश्चित करे जिनके ग्राम या जिनकी सम्पदा, कलेक्टर के निर्णय में ऐसी नहर या जल-निकास संकर्म द्वारा फायदा पाएँगी; और

(ख) जिले की और उन सभी स्वत्वधारियों, उप-स्वत्वधारियों या कृषकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सूची में, श्रमिकों की वह संख्या अभिलिखित करे जो उक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्तत: या पृथकत: ऐसी किसी ग्राम या सम्पदा से, ऐसी किसी नहर या निकास संकर्म पर नियोजन के लिए जब इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में अपेक्षा की जाए तब, दी जाएगी।

कलेक्टर, समय-समय पर, ऐसी सूची या उसके किसी भाग में परिवर्द्धन या परिवर्तन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ है, इस धारा में शब्द ''नहर खण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए गए।

65. अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित संकर्मों के लिए श्रमिक प्राप्त करने की प्रक्रिया—जब कभी राज्य सरकार द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत किसी नहर खण्ड अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यदि कोई संकर्म तुरन्त निष्पादित नहीं किया जाएगा, तो किसी नहर या जल-निकास संकर्म को ऐसी गम्भीर क्षति हो जाएगी, जिससे एकाएक और विस्तृत सार्वजनिक क्षति होगी,

और उसके उचित निष्पादन के लिए आवश्यक श्रमिक सामान्य रीति से उस समय के अन्दर, जो ऐसी क्षति को रोकने के लिए ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं तो, उक्त अधिकारी ऐसी सूची में नामित किसी व्यक्ति से उतने श्रमिक देने की अपेक्षा कर सकता है (जो उस संख्या से अधिक नहीं होंगे जिन्हें प्रदान करने का वह सूची के अनुसार दायी है) जो ऐसे संकर्म के तुरन्त निष्पादन के लिए उक्त अधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

इस प्रकार की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा लिखित होगी और उसमें निम्नलिखित का कथन होगा :

(क) किए जाने वाले संकर्म की प्रकृति और स्थान;

(ख) जिस व्यक्ति से अध्यपेक्षा की गई है उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या; और

(ग) अनुमानित समय जिसके लिए और वह दिन जब श्रमिकों की आवश्यकता होगी;

और उसकी एक प्रति राज्य सरकार की सूचना के लिए नहर अधीक्षक अधिकारी को तुरन्त भेजी जाएगी।

राज्य सरकार, ऐसे किसी श्रमिक को संदाय की जाने वाली दर नियत करेगी, और समय-समय पर उसमें परिवर्तन कर सकती है :

परन्तु ऐसी दरें इसी प्रकार के काम के लिए आसपास में उस समय दी जाने वाली अधिकतम दरों से अधिक होंगी।

ऐसे प्रत्येक श्रमिक की दशा में संदाय उस पूरी कालावधि में होता रहेगा जिसके दौरान, इस भाग के उपबन्धों के परिणामस्वरूप, उसे अपनी सामान्य उपजीविका चलाने से रोका जाता है।

राज्य सरकार [1][***] यह निदेश दे सकती है कि इस भाग के उपबन्ध आवश्यक वार्षिक साफ सफाई करने के, या किसी नहर या जल निकास संकर्म के उचित रूप से चालू रहने में रुकावट या उसके साथ उतना हस्तक्षेप किए जाने को जिससे सिंचाई या जल निकास की स्थापित सरणी में रुकावट पड़े, निवारित करने के प्रयोजन के लिए किसी जिले या जिले के भाग को (यथास्थिति) या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से लागू होंगे।

66. अध्यपेक्षा के अधीन श्रमिकों का दायित्व—जब उक्त सूची में नामित किसी व्यक्ति से कोई अध्यपेक्षा की गई है तब, ऐसे व्यक्ति के ग्राम या संपदा के अन्दर सामान्यत: निवासी प्रत्येक श्रमिक उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अपना श्रम प्रदाय करने और करते रहने का दायी होगा।

भाग 9

अधिकारिता

67. इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता—जैसाकि इसमें अन्यथा उपबन्धित किया गया हो उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात की बाबत राज्य सरकार के विरुद्ध सभी दावों का सिविल न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सकेगा; किन्तु किसी भी मामले में ऐसा कोई न्यायालय ऐसे आदेश के समय बोई गई या उगती हुई किसी फसल को नहरी जल प्रदाय करने के बारे में कोई आदेश नहीं करेगा।

68. जलसरणी में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में मतभेदों का निपटारा—जब कभी दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी जलसरणी के उपयोग, निर्माण या अनुरक्षण

---

1. 1914 के अधिनियम सं० 4 द्वारा शब्द ''सपरिषद् गर्वनर जनरल की पूर्व मंजूरी से'' निरसित किए गए

की बाबत पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों के बारे में मतभेद होता है तब, ऐसा कोई व्यक्ति विवादग्रस्त मामले का कथन करते हुए नहर खण्ड अधिकारी को लिखित आवेदन कर सकता है। तब ऐसा अधिकारी अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि ऐसी सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन, वह उक्त मामले की जाँच प्रारम्भ करेगा और, ऐसी जाँच के पश्चात् वह उस पर आदेश पारित करेगा, यदि वह कलेक्टर को वह मामला अन्तरित न कर दे (जिसे करने के लिए वह एतद्द्वारा सशक्त किया जाता है), अन्तरित कर देने पर कलेक्टर उक्त मामले में जाँच करेगा और अपना आदेश पारित करेगा।

ऐसा आदेश, ऐसे आदेश के किए जाने के समय बोई गई या उगती हुई फसलों के लिए जल के उपयोग या वितरण के बारे में अन्तिम होगा, और सिविल न्यायालय की डिक्री द्वारा अपास्त किए जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

(i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि यह उ० प्र० में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में लागू हुआ है, धारा 68 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"***68. जल के उपयोग या वितरण का आदेश करने की डिप्टी कलेक्टर की शक्ति और जलसरणी में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में मतभेदों का निपटारा***—(1) डिप्टी कलेक्टर, किसी संपदा या संपदाओं के समूह में या ऐसी संपदा या संपदाओं में किसी धृति या धृति के समूह में के व्यक्तियों के बीच किसी जलसरणी से जल के वितरण के बारे में आदेश, यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो, पारित कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि डिप्टी कलेक्टर द्वारा ऐसा आदेश, मामले की जाँच किए बिना और उन सभी व्यक्तियों को यह सूचना दिए बिना कि ऐसी सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन, वह उक्त मामले की जाँच प्रारम्भ करेगा, पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी जलसरणी के उपयोग, निर्माण या अनुरक्षण की बाबत पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों के बारे में मतभेद होता है तब, ऐसा कोई व्यक्ति विवादग्रस्त मामले का कथन करते हुए डिप्टी कलेक्टर को लिखित आवेदन कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, डिप्टी कलेक्टर अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि ऐसी सूचना में निश्चित किए जाने वाले दिन, वह उक्त मामले की जाँच करेगा, और जाँच के पश्चात् , वह उस पर आदेश पारित करेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन पारित कोई आदेश, ऐसा आदेश किए जाने के समय बोई गई या उगती हुई फसलों के लिए जल के उपयोग या वितरण के बारे में या किसी जलसरणी के निर्माण या अनुरक्षण के संदर्भ में, उपधारा (5) एवं (6) के अधीन अपील या पुनरीक्षण पर पारित आदेश के अध्यधीन, अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, नहर खण्ड अधिकारी को अपील होगी।

(6) नहर अधीक्षक अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में वह जलसरणी स्थित है, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर, किसी अपील में उपधारा (5) के अधीन नहर खण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया जा सकता, जब तक कि ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उसे नहीं किया जाता।

(7) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा।"

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि इसका प्रयोग उ० प्र० में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध हुआ है, शब्द "नहर खण्ड अधिकारी" के स्थान पर शब्द "खण्ड अधिकारी" प्रतिस्थापित किए गए।

69. साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने की शक्ति—इस अधिनियम के अधीन जाँच करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने से सम्बद्ध ऐसी सिविल शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदत्त की गई है, और ऐसी प्रत्येक जाँच न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

भाग 10

अपराध और शास्तियाँ

70. अधिनियम के अधीन अपराध—कोई, जो बिना उचित प्राधिकार के और स्वेच्छा से निम्नलिखित कार्यों में से कोई करेगा, अर्थात् :

(1) किसी नहर या जल-निकास संकर्म को क्षति पहुँचाएगा, परिवर्तित करेगा, बढ़ाएगा या बाधा पहुँचाएगा;

(2) किसी नहर या जल-निकास संकर्म में, जल के प्रदाय में या उससे, या उससे होकर या उस पर या उसके नीचे के जल के प्रवाह में हस्तक्षेप करेगा, वृद्धि करेगा या उसे घटाएगा;

(3) किसी नदी या सरिता में जल के प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप या परिवर्तन करेगा कि कोई नहर या जल-निकास संकर्म संकटापन्न हो जाए या उसको नुकसान हो जाए या वह कम उपयोगी हो जाए;

(4) किसी जलसरणी के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हुए, या जलसरणी का उपयोग करते हुए, उससे जल के दुर्व्यय को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा या उससे जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा, या ऐसे जल का अप्राधिकृत रीति में उपयोग करेगा;

(5) किसी नहर के जल को भ्रष्ट या कलुषित करेगा जिससे कि वह जिन प्रयोजनों के लिए सामान्यतया उपयोग किया जाता है उनके लिए कम उपयुक्त हो जाए;

(6) राज्य सरकार द्वारा किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के प्रतिकूल किसी जलयान का किसी नहर में प्रवेश या नौपरिवहन कराएगा;

(7) किसी नहर में नौपरिवहन करते समय, नहर की या उसमें के जलयानों की सुरक्षा के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा;

(8) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन श्रमिक देने का दायी होते हुए, उचित कारणों के बिना, उससे अपेक्षित श्रमिकों का प्रदाय करने में या प्रदाय करने में सहायता करने में असफल रहेगा;

(9) इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन अपने श्रम का प्रदाय करने का दायी होते हुए, उचित कारण के बिना, अपना श्रम प्रदाय करने की और प्रदाय करते रहने की उपेक्षा करेगा;

(10) किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी तल चिह्न या तल गेज को नष्ट करेगा या हटाएगा;

(11) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल, ऐसा न करने की अपेक्षा किए जाने के पश्चात्, किसी नहर के संकर्म, तट या वाहिका या जल-निकास संकर्म पर से या पर होकर जानवर या यान चलाएगा या चलवाएगा;

(12) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम का जिसके भंग के लिए शास्ति उपगत हो सकती है।

शास्ति—वह ऐसे वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष जो राज्य सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का जो पचास रुपए से अधिक नहीं होगा, या कारावास का जो एक मास से अधिक नहीं होगा, या दोनों का, भागी होगा।

उत्तर प्रदेश संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 सन् 1936 द्वारा जैसा कि इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में किसी राज्य नलकूप के सम्बन्ध में हुआ है,—

(i) धारा 70 के खण्ड (2) में शब्द ''हस्तक्षेप'' के पहले शब्द ''नलकूप के निर्माण के अतिरिक्त'' अन्तःस्थापित किए गए।

(ii) खण्ड (6) से (9) निकाल दिए गए।

(iii) अंतिम पैरा में शब्द ''पचास रुपए'' के स्थान पर शब्द ''सौ रुपए'' रखे गए।

71. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से निवारित नहीं करेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा।

72. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर—जब कभी किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए जुर्माना किया जाता है तो, मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसा जुर्माना पूर्णतया या उसका भाग ऐसे अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में संदाय किया जाए।

73. बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति—किसी नहर या जल-निकास संकर्म का भारसाधक व्यक्ति या उस पर नियोजित व्यक्ति उसकी दृष्टि में निम्नलिखित अपराधों में से किसी को करने वाले व्यक्ति को ऐसी नहर या संकर्म की भूमि या भवनों से हटा सकता है या बिना वारण्ट के अभिरक्षा में लेकर तुरन्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन को, विधि के अनुसार व्यवहार किए जाने के लिए ले जा सकता है :

(1) किसी नहर या जल-निकास संकर्म को जानबूझकर नुकसान या बाधा पहुँचाता है;

(2) बिना उचित प्राधिकार के किसी नहर या जल-निकास संकर्म में या से, या किसी नदी या सरिता में जल के प्रदाय या प्रवाह से इस प्रकार हस्तक्षेप करता है कि कोई नहर या जल-निकास संकर्म को नुकसान हो जाए या वह संकटापन्न या कम उपयोगी हो जाए।

74. ''नहर'' की परिभाषा—इस भाग में, ''नहर'' शब्द के अन्तर्गत (जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो) नहरों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के अधिभोग की सभी भूमियाँ और ऐसी भूमियों पर राज्य सरकार के स्वामित्व या अधिभोग के सभी भवन, मशीनरी, बाड़, फाटक और अन्य परिनिर्माण, वृक्ष, फसल, बागान या अन्य उत्पाद हैं, ऐसा समझा जाएगा।

भाग 11

समनुषंगी नियम

75. नियम बनाने, परिवर्तित करने और रद्द करने की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर * *[1] निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है :

(1) किसी अधिकारी की, जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी विषय में कार्यवाही करने की अपेक्षा है या जो इस निमित्त सशक्त किया गया है, कार्यवाहियाँ;

---

1. 1920 के अधिनियम संख्या 38 द्वारा शब्द ''सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन'' निरसित किए गए

(2) वे मामले जिनमें, और वे अधिकारी जिनको, और वे शर्तें जिनके अधीन, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिए गए आदेश और विनिश्चय से, जिसकी अपील के बारे में अभिव्यक्तत: उपबन्ध नहीं किया गया है, अपील की जा सकेगी;

(3) वे व्यक्ति जिनके द्वारा [1][और] वह समय, स्थान या रीति जिससे कोई बात जिसके किए जाने के लिए इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, की जाएगी;

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी प्रभार की रकम; और

(5) साधारणत: इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए;

राज्य सरकार, समय-समय पर [2][***] इस प्रकार बनाए गए नियमों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है।

नियमों का प्रकाशन—ऐसे नियम, परिवर्तन और रद्दकरण राजपत्र में प्रकाशित किए जाएँगे और तब विधि का बल रखेंगे।

उत्तर प्रदेश संशोधन

(i) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 सन् 1963 द्वारा मूल धारा 75 को उसकी उपधारा (1) के रूप में उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य रूप में संख्यांकित किया गया एवं निम्नलिखित उपधाराएं (2) और (3) जोड़ी गईं :

''(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम प्रावधान कर सकेंगे—

(i) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई योजना में वर्णित किए जाने हेतु विशिष्टियों के लिए;

(ii) योजना के क्रियान्वयन की रीति के लिए;

(iii) योजना के प्रकाशन की रीति और इस अध्याय के अधीन नोटिस देने या उसका प्रकाशन करने के लिए; और

(iv) ऐसी अन्य चीजों को करने या निष्पादन करने की रीति के लिए, जैसा किया जा सकता है या जिन्हें इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जो की जा सकेगी, को राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अवधि के लिए सत्र में है, रखा जाएगा और जब तक कोई पश्चात्वर्ती तिथि नियत न की जाए, उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणों या शून्यकरणों जैसा विधायिका के दोनों सदन करने को सहमत हों, के अध्यधीन प्रभाविता ग्रहण करेगी; इसलिए, हालाँकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।''

(ii) उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 22 सन् 1979 द्वारा इस धारा के खण्ड (4) के लिए निम्नलिखित खण्ड उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''(4) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रभार की धनराशि और रीति जिसमें उनकी प्राप्ति की जाएगी; और''।

अनुसूची

[3][* * *]

———

1. 1891 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा अंत:स्थापित
2. 1920 के अधिनियम संख्या 38 द्वारा शब्द ''ऐसे ही नियंत्रणाधीन'' निरसित किए गए
3. निरसन अधिनियम, 1873 (1873 का 12) की धारा 1 और अनुसूची, भाग 2 द्वारा निरसित